संख्या-12/2018/ सा0 51/38-2-2018-34बी/2012

प्रेषक,

सहदेव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 29 जनवरी, 2018**

विषय:- नवसृजित जनपद-शामली में विकास भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदयए

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-13/2015/सा0-407/38-2-2015-34बी/2012, दिनांक 14 जुलाई, 2015 एवं शासनादेश संख्या-4/2017/सा0-81/38-2-2017-34बी/2012, दिनांक 30 मार्च, 2017 द्वारा नवसृजित जनपद-शामली में विकास भवन के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 1152.80 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में धनराशि रू0 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) एवं दूसरी किश्त में धनराशि रू0 87.39 लाख (रूपये सत्तायी लाख उन्तालीस हजार मात्र) अवमुक्त की गयी थी। आपके पत्रांक 26/बजट अनु0/ सामु0वि0 2017-18 दिनांक 08-01-2018 एवं मुख्य विकास अधिकारीए शामली के पत्रांक-616/ विकास भवन निर्माण/2017-18, दिनांक 06 जनवरी, 2018 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल नवसृजित जनपद-शामली में विकास भवन के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में तीसरी किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 607.77 लाख (रूपये छः करोड़ सात लाख सतहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(2) निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे। धनराशि को व्यय करने में इस प्रकार की रणनीति बनायी जायेगीए जिससे फेजवाइज भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। भवन का निर्माण उसी एजेन्सी से कराया जायेगा, जिस पर ग्राम्य विकास विभाग की सहमति दी गयी है तथा सुसंगत शासकीय निर्माण कार्य निष्पादन विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगाए जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जायए उसका विवरण महालेखाकारए उ0प्र0 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह आयुक्तए ग्राम्य विकास को भेजी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगाए जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(5) इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जायेगी।

(6) उक्त शासनादेश दिनांक 14 जुलाई, 2015, दिनांक 30-03-2017 एवं इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति होए सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

(7) उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(8) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशिए आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्ष- "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-03-जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों/केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सहदेव
विशेष सचिव।

संख्या-12/2018/सा0-51(1)/38-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकासए उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, शामली।
4- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारीए शामली।
5- कोषाधिकारी, शामली।
6- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, शामली।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
8- इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माणा निगम लि0 सूडा इकाई-प्रथम, मेरठ/शामली।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।